न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—31/2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

बिट्टू सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 24 एसएसडब्ल्यू फतेहगढ़ पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—02.09.2021

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल बिट्टू सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 24 एसएसडब्ल्यू फतेहगढ़ पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो जवान उम्र का व्यक्ति है। नाजायज हथकढ़ शराब के कारोबार में सक्रिय है जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसकी आम शोहरत काफी खराब है। आमजन में इसका भय व्याप्त है। अतः इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 4 अभियोग पंजीबद्ध होकर न्यायालय में पेश किये गये है। सभी अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं. व दिनांक	धारा	चालान	नतीजा अदालत
1	293/17.05.2011	16/54 राज. आब. अधि.	01.06.2011	सजा 30.7.2011
2	367/16.06.2011	16/54 राज. आब. अधि.	25.07.2011	सजा 24.11.2011
3	570/22.09.2011	16/54 राज. आब. अधि.	01.10.2011	सजा 06.04.2012
4	96/14.02.2012	16/54 राज. आब. अधि.	27.02.2012	सजा 09.05.2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है जिससे गरीब तबके के लोग अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में आशंकित है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए बाद समायत सलूक कानूनी फरमावे।

गैरसायल बिट्टू सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक 24 एसएसडब्ल्यू फतेहगढ़ पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 14.05.2013 को उपस्थित होकर जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर रंजिशवश किये गये है जिनका सम्बन्धित न्यायालय में निपटारा हो चुका है तथा न्यायालय द्वारा दिये गये परिवीक्षा के लाभ का प्रार्थी द्वारा कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी ने आज तक शांति बनाए रखी है। प्रार्थी नाजायज हथकड़ शराब का धन्धा करने का आदि है उक्त तथ्य मिथ्य मनगढंत है। प्रार्थी की गतिविधि या कार्य से आम जनता या सम्पत्ति को नुकसान होने अथवा महिलाओं के अनैतिक आचरण निवारण अधिनियम व राज. आब. अधि. के तहत दण्डनीय अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है के तथ्य मिथ्य व मनगढंत है। उपरोक्त वर्णित अधिनियमों व धाराओं में कोई मुकदमा प्रार्थी के विरूद्ध न तो दर्ज हुआ है न ही विचाराधीन है। प्रार्थी ने कोई गैंग नहीं बना रखी है व ना ही प्रार्थी किसी गैंग का सदस्य है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि प्रार्थी अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। प्रार्थी ने अपने जीवन में सुधार किया है तथा शराब के धन्धे को छोड़ चुका है तथा शान्तिपूर्ण तरीके से मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहा है तथा नैतिकतापूर्ण व गरिमामय तरिके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व शपथ पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी दिहाड़ी मजदूरी करता है एवं ग्राम पंचायत में शांति से रह रहा है तथा प्रार्थी के विरूद्ध पिछले 10 वर्ष से कोई मुकदमा किसी भी थाना में दर्ज नहीं हुआ है ना ही किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(III) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को दो वर्ष की अवधि तक शांति बनाये रखने हेतु 300, 200, 200 व 200 रूपये के जमानत मुचलका पर पाबन्द किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2011–2012 में दर्ज किए गए है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैर सायल ने बहस में निवेदन किया कि प्रकरण 2012 से पूर्व के हैं गैर सायल द्वारा 2012 के पश्चात कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। गैर सायल बिट्टू सिंह पुत्र श्री रामसिंह चक 24 एसएसडब्ल्यू फतेहगढ़ का रहने वाला है वह गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता है तथा गांव में किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़